उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-04/ 201887//92-2-17-/जांच1017
लखनऊ ::दिनांक ::17 जनवरी,2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-फिरोजाबाद में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो की महालेखाकार की समप्रेक्षा दल द्वारा दिनांक 22-02-2016 से 27-02-2016 तक किये गये आडिट में परिलक्षित रू0 15,62,108.00 का अधिक व्यय करने, शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं में लापरवाही बरतने आदि अनियमितताओं के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/2017/178/92-2-2017-10जांच/2017 दिनांक 01-03-2017 द्वारा श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फिरोजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर के पत्र दिनांक 14-08-2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से आरोप संख्या-1 आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया तथा आरोप संख्या-2 अपचारी अधिकारी पर सिद्ध नही पाये गये। अपचारी अधिकारी पर सिद्ध पाये गये आरोप संख्या-1 के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 22-09-2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत श्री अग्रवाल का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 01.11.2017 एवं दिनांक 24.11.2017 द्वारा शासन में प्राप्त हुआ।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री संजय अग्रवाल पर कोई भी आरोप सिद्ध न पाये जाने पर उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-03-2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-04/2018/87(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फिरोजाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।